

6.4325हे० चिन्हित गैर वन भूमि का उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत उब्लूटी०पी०हेतु प्रस्तावित 6.4325 हे० वन भूमि के बदले वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करने हेतु गैर वन भूमि ग्राम सगरा, परगना—कंतित, तहसील—लालगंज, जिला मिर्जापुर के आराजी संख्या—28 / 1मि०, रकबा—13.1650हे०(जो श्रेणी—3ड./अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि खाते में दर्ज है) में से 6.4325हे० गैर वन भूमि जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, हलिया से करायी गयी, उनकी जांच आख्या दिनांक 19—05—2022 के आधार पर—

” प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने वाली कैमूर वन्य जीव प्रभाग के हलिया रेंज के अन्तर्गत ग्राम सगरा, परगना कंतित, तहसील—लालगंज, जिला—मिर्जापुर के आराजी संख्या 28 / 1मि०, रकबा 13.1650हे० में से 6.4325हे० गैर वन भूमि प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त है। उक्त गैर वन भूमि विवाद रहित एवं अतिक्रमण मुक्त है।”

चूंकि उक्त क्षेत्र का हरियाली घनत्व 0.4 से अधिक है। अतः वन (संरक्षण) अधिनियम के हैण्ड बुक के पृष्ठ संख्या—46, पैरा 2.4 (v) एवं 2.4 (vi) के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त अवनत वन भूमि को हलिया रेंज के अन्तर्गत सगरा कक्ष संख्या—4 में चयनित किया गया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
हलिया रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर।
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर।
मिर्जापुर